संख्या- 70 **/2025/I/** 917507 **/2025/71-1002(002)/46/2021**

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक** 26 **मार्च, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर में आयुष्मान वार्ड सं0-04 का जीर्णोद्धार कार्य हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2024-25/650, दिनांक 08.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर में आयुष्मान वार्ड सं0-04 का जीर्णोद्धार कार्य हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में रू0 234.63 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-69/2024/I/522156/2024/71-1002(002)/46/2021, दिनांक 16.03.2024 द्वारा जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर में आयुष्मान वार्ड सं0-04 का जीर्णोद्धार कार्य हेतु तकनीकी समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 341.57 लाख प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रशनगत कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 106.54 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है तथा परियेाजना की रू0 234.63 लाख की धनराशि निर्गत किया जाना शेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर में आयुष्मान वार्ड सं0-04 का जीर्णोद्धार कार्य** हेतु तकनीकी समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 341.57 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-39-राजकीय मेडिकल कालेज कानपुर के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में पुनर्विनियोग के माध्यम (बी0एम0-9 संलग्न) से उपलब्ध धनराशि में से परियेाजना की **अवशेष/अंतिम किश्त** के रूप में **रू0 234.63 लाख (रू0 दो करोड़ चौंतीस लाख तिरसठ हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

4. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में नहीं की जायेगी।

6. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जायेगा।

7. परियोजना से सम्बन्धित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-69/2024/I/522156/2024/71-1002(002)/46/2021, दिनांक 16.03.2024 में उल्लिखित शेष शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,34,63,000 (रुपये दो करोड़ चौंतीस लाख तिरेसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031053900 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

Signed by
Manoj Kumar Singh
Date: 26-03-2025 10:37:33

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एंव तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय,चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20242025-71-1002-43-2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में 03 परियोजनाओं हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	4210031059100 (राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेन्टर-II को ट्रामा सेन्टर लेवल-I में परिवर्तित किया जाना)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	2,76,16,00,000 रुपये दो अरब छिहत्तर करोड़ सोलह लाख मात्र	2,46,00,17,000 रुपये दो अरब छियालीस करोड़ सत्रह हजार मात्र	7,02,92,000 रुपये सात करोड़ दो लाख बानबे हजार मात्र	7,02,92,000 रुपये सात करोड़ दो लाख बानबे हजार मात्र	2,69,13,08,000 रुपये दो अरब उनहत्तर करोड़ तेरह लाख आठ हजार मात्र	2024-2025
कुल					₹ 7,02,92,000	₹ 7,02,92,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	4210031053900 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	30,59,35,000 रुपये तीस करोड़ उनसठ लाख पैंतीस हजार मात्र	7,02,92,000 रुपये सात करोड़ दो लाख बानबे हजार मात्र	7,02,92,000 रुपये सात करोड़ दो लाख बानबे हजार मात्र	37,62,27,000 रुपये सैंतीस करोड़ बासठ लाख सत्ताईस हजार मात्र	2024-2025
कुल				₹ 7,02,92,000	₹ 7,02,92,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-91-राजकीय मेडिकल कालेजों में ट्रामा सेंटर-।। को ट्रामा सेंटर लेबल-। में परिवर्तित किया जाना के मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य मद में रू0 702.92 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

महानिदेशक द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में चालू 03 परियोजनाओं हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने हेतु कुल रू0 702.92 लाख की धनराशि निर्गत किये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है-

(रू0 लाख में)

क्र0	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	उपयोगिता प्रमाण-पत्र	अवशेष धनराशि
1	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर में आयुष्मान वार्ड सं0-04 के जीर्णोद्धार का कार्य।	341.57	106.54	96.00 (90.10 प्रतिशत)	234.63
2	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर में आयुष्मान वार्ड सं0-03 के जीर्णोद्धार का कार्य।	347.74	106.00	94.00 (88.67 प्रतिशत)	241.74
3	राजकीय मेडिकल कालेज कानपुर एवं लाला लाजपत राय चिकित्सालय परिसर की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण एंव पूर्व में स्थापित बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत का कार्य।	453.09	226.545	185.00 (81.66 प्रतिशत)	226.545
कुल योग-		1142.40	439.485	375.00	702.916

महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अनुसार उक्त तीनों परियोजनाओं हेतु निर्गत धनराशि का पृथक-पृथक 75 प्रतिशत से अधिक का उपभोग कर लिया गया है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-664-E-3-460-X-2024-25-दिनांक:19-03-2025

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(मनोज कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

(कपिल देव भारती)

अनु सचिव।

संख्या : / , दिनांक- मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधानचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।